न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 20/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला—बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री मूलचन्द आत्मज बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

आदेश दिनांक— 13.04.2022

1— प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2550 रकबा 1.00 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम रायथल तहसील—मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014—2023 में खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044—63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 40 रकबा 1.04 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी. बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्ध होने से आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:56:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि सम्वत् 2014 से पूर्व उक्त आराजी का खसरा नंबर 1211 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा था। बन्दोबस्त 2014 से 2023 में खसरा नंबर 1211 के नवीन खसरा नंबर 8,9,15,17 कायम किये। खसरा नंबर 8 के नये खसरा नंबर 40 कायम किये। उक्त आराजीयात अप्रार्थी को अपने पिता बजरंगलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त आराजी संवत् 2014 के पूर्व से काबिल काश्त आराजी के रूप में मौके पर काश्त होती चली आ रही है। तत्कालीन खसरा नंबर 8 पर अप्रार्थी के पिता बजरंगलाल को कब्जे काश्त के आधार पर जर्ये पट्टा नं. 1612 व मिसल नं. 239 में पारित आदेश दिनांक 10.05.1967 से जर्ये नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 28.03.1978 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये तदुपरान्त खातेदार बजरंगलाल ने अपनी पैतृक व स्वअर्जित आराजीयात का विभाजन कर पृथक पृथक खाते करवा दिये। अप्रार्थी को अपने पिता से खसरा नंबर 40 रकबा 1.04 है. किस्म नहरी प्रथम आराजी विभाजन से प्राप्त हुई। बजरंगलाल के खातेदारी की आराजी के समस्त हक हिस्सेदारों को उक्त रेफरेंस में पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण पक्षकार के असंयोजन का दोष होने से रेफरेंस विधिवत संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने वर्तमान खसरा नंबर 2550 के साबिक खसरा नंबर 40 की आराजीयात की किस्म के परिवर्तन हुये राजस्व रिकार्ड एवं उक्त आराजीयात की तत्समय की मौजूदा स्थिति एवं भू उपयोग की पूर्ण जांच पड़ताल किये बिना ही पुराने रिकार्ड के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। हाल खसरा नंबर 2550 के साबिक खसरा नंबर 40 की आराजी की किस्म नहरी प्रथम है। उक्त आराजी के आसपास कहीं भी नाले का अस्तित्व नहीं है। उक्त आराजीयात के आसपास काश्त भूमि है। उक्त रिकार्डेड तथ्यों को अनदेखा कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4— हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम रायथल की आराजी साबिक खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थी के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा 40 रकबा 1.04 है बने है तथा केचमेन्ट वर्ष 2008—09 में 0.04 है. की ... खसरा नबर 2550 रकबा 1.00 है. कायम हुये हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 2550 रकबा 1.00 है. वाके ग्राम रायथल की किस्म नहरी I है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थी के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35–40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

6– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

7– उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट सम्वत [illegible]44–63 नये खसरा नम्बर 40 रकबा 1.04 है0 बने है तथा केचमेन्ट [illegible] 2550 रकबा 1.00 है. बने हैं। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पिता को विधि वि[illegible] हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त

आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम रायथल में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2550 रकबा 1.00 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:56:54 IST
Reason: SelfAttested